


$\frac{12}{18}$

डापीलांट के अधिवक्ता अनुपालित रिस्क
की तलखी हेतु समन तलखाना पेश
नही किया है जबकि पूर्व में पर्यटन
अवसर प्रदान किये गये है। राज
न्यायालय समय में हिलग-हिलग
तीन बार डापीलांट व उनके अधिवक्ता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नाम अहम हुक्म को में जारी
	<p>को उपाधिक होने के लिये आवज लगाई किंतु बाकजुद यूजना अनुपस्थित रहे व शासिका आवेश की पालना नदी की है। लिहाजा अपीलान्त की यह क्षील अदम हजरी मे एवं अथासलय आवेश की अपालना के लिये खारिज की जाती है। मिशल मिशल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">  जिला कलक्टर बाडमेर </p>	